न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, I.A.S.

वादपत्र संख्या 45/2017
अन्तर्गत धारा 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. पहलवानसिंह आत्मज श्री हाकमसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी,
2. श्रीमती शीलोबाई धर्मपत्नी श्री मुख्तयारसिंह,
3. गुरजण्टसिंह
4. करतारराम
5. वीरसिंह एवं
6. श्रीमती वीना आत्मजन श्री मुख्तयारसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादीगण

बनाम

1. पालसिंह आत्मज श्री करतारसिंह, रायसिख, चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगगानगर.

..प्रतिवादी

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (वादी)
श्री सतपालसिंह (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांक 22 अक्तूबर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नबर 17(0.790), मुरब्बा नम्बर 33(1.328) एवं मुरब्बा नम्बर 60(0.886) कुल 3.004 हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 1 के नाम पर खातेदारी दर्ज है जिसमें से वादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 12 से 14 को सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईन्ट उद्योग भट्ठा स्थापित किया गया है. वादी संख्या 2 से 5 के नाम पर चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 17 में 0.791 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 33 में 1.328 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 60 में 0.885 हैक्टर कुल 3.004 हैक्टर के नाम पर दर्ज है जिसमें वादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 17 से 19 तथा किला नम्बर 14(0.126) हैक्टर कृषि भूमि में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंन्ट भट्ठा स्थापित किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर चक 1 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 59(1.138) मुरब्बा नम्बर 60(0.253) कुल 1.391 हैक्टर कृषि भूमि खातेदार दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 11 एवं 19 के चिपते हुऐ किला नम्बर 20 में गैर कृषि कार्य बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से किये जा रहे हैं इस हेतुक वादीगण द्वारा दिनांक 10 मई, 2017 को मौका पर जाकर निर्माण रोकने के कथन करने पर निर्माण कार्य रोकने से इन्कार कर दिया गया. यही वादकरण उपलब्ध है. प्रश्नगत कृषि

भूमि राजस्व अभिलेखानुसार कृषि भूमि दर्ज है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में गैर कृषि कार्य करने अवैद्य निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे वादीगण को भारी परेशानी के साथ कानूनी अड़चने पैदा हो रही हैं इसलिये वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 चक 2 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य गैर कृषि कार्य हेतु स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से अवैद्य निर्माण किया जावे. इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा कि प्रतिवादी संख्या 1 बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के चक 2 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में किसी भी प्रकार के गैर कृषि कार्य स्वयं अथवा किसी भी अन्य मित्र एवं रिश्तेदारों के सहयोग से करने से निषिद्य रहे. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 3 सी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 एवं चक 3 सी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 59 एवं 60 राजस्व अभिलेखों में कृषि भूमि दर्ज है जिसे वादी द्वारा चक 1 सी बड़ी में स्थित होने के तथ्य अंकित किये गये हैं. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में किसी भी प्रकार के अकृषि कार्य नहीं किये जा रहे हैं. प्रतिवादी संचख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत 4 सी बड़ी ओड़की के चक 1 सी बडी को 20 मरला भूमि पंजीबद्व उपहारपत्र द्वारा दी जाकर कब्जा सौंपा गया है. पंचायत द्वारा इस भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है प्रतिवादी संख्या 1 की जानकारी में नहीं है. ऐसी स्थिति में, यदि पंचायत द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो उसे आवश्यक पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य द्वारा चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में किसी भी प्रकार के अकृषि कार्य नहीं किये जा रहे हैं. विचाराधीन वादपत्र मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को तंग, परेशान करने की नीयत से ही झूठे एवं मनगढत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 25 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नम्बर 17(0.790) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 33(1.328) हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 60(0.886) हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिसमें से मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 12 से 14 में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंट भट्टा स्थापित है? ...वादी–1

2. क्या चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 17(0.791) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 33(1.328) हैक्टर एव मुरब्बा नम्बर 60(0.885) हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 2 से 5 के नाम पर दर्ज है जिसमें से मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 17 से 19 एवं किला नम्बर 14(0.126) हैक्टर कृषि भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंट भट्टा स्थापित है? ...वादी–2 से 5

3. क्या वादीगण चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये जा रहे अकृषि कार्य एवं अवैद्य निर्माण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? .....वादीगण

4. क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 के 20 मरले कृषि भूमि का कब्जा पंजीबद्व दानपत्र द्वारा ग्राम पंचायत, 4 सी बडी को सोंपा हुआ है? ....प्रतिवादी–1

5. क्या ग्राम पंचायत, 4 सी बड़ी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण विचाराधीन वादपत्र पोषणीय है? ....प्रतिवादी–1

6. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी प्रस्तुत नही करने के कारण आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2018 द्वारा अन्तिम अवसर तथा आदेश दिनांक 7 फरवरी, 2018 द्वारा राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर साक्ष्यवादी हेतु श्री पहलवानसिंह द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिसके जिरह हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 09 मार्च, 2018 द्वारा कुल राशि 400.00 कॉस्ट पर अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर साक्षी वादी श्री पहलवानसिंह के उपस्थित आने पर जिरह की जाकर साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बाद प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्षी प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 14 जून, 2018 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी. अभिलेख कमशः चक 3 सी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 (प्रदर्श–1) एवं चक 3 सी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069(प्रदर्श–2) प्रदर्श करवाये गये.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 11 अक्तूबर, 2018 अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन नियमित वाद वादीगण की खातेदारी चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 13(0.790), मुरब्बा नम्बर 33(1.328), मुरब्बा नम्बर 60(0.886), कुल 3.002 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 60 की 0.885 हैक्टर कुल 3.004 हैक्टर खातेदारी दर्ज है. प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 3 सी बड़ी की 1.391 हैक्टर में से मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में बिना पूर्वानुमति गैर कृषि कार्य नही करे इस हेतु धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवादी की जवाबदेही के अनुसार मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 20 को ग्राम पंचायत को दानपत्र द्वारा हस्तान्तरित कर दी गयी है. वादपत्र का मुख्य विवाद्यक केवल मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में बिना पूर्व स्वीकृति क्या गेर कृषि कार्य किया जा सकता है अथवा नहीं? विचारणीय है. माननीय न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 व 2 अनावश्यक निर्धारित किये गये हैं कानूनन विलोपित किये जाने योग्य हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 व 2 को विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 में वादीगण द्वारा इस आश्य के स्पष्ट अभिवचन अंकित किये गये हैं कि वादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 12 से 14 पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंट उद्योग भट्टा स्थापित किया गया है इसी अनुरूप, वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया गया है कि वादी द्वारा चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 17 से 19 एवं किला नम्बर 14(0.126) हैक्टर कृषि भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंट भट्टा उद्योग स्थापित किया हुआ है. ऐसी स्थिति में, वादपत्र के अभिवचनों को सिद्व करने का भार वादी पर है जिसके लिये ही विवाद्यक संख्या 1 व 2 निर्धारित किये गये हैं. ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

> विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नम्बर 17(0.790) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 33(1.328) हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 60(0.886) हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जिसमें से मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 12 से 14 में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंट भट्टा स्थापित है?
>
> **...वादी–1**

वादीगण द्वारा वादपत्र के बिन्दू संख्या 2 एवं 3 में अंकित किया गया है कि वादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 12 से 14 को सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईन्ट उद्योग भट्टा स्थापित किया गया है. किन्तु वादी संख्या 1 द्वारा इन अभिवचनों के समर्थन में किसी भी प्रकार का

अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया. जिससे यह तथ्य कतई सिद्व नहीं होता है कि वादी द्वारा उल्लेखित कृषि भूमि पर स्थापित ईंट भट्टा हेतु कृषि भूमि संपरिवर्तित करवायी गयी हो. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 1 वादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 17(0.791) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 33(1.328) हैक्टर एव मुरब्बा नम्बर 60(0.885) हैक्टर कृषि भूमि वादी संख्या 2 से 5 के नाम पर दर्ज है जिसमें से मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 17 से 19 एवं किला नम्बर 14(0.126) हैक्टर कृषि भूमि पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईंट भट्टा स्थापित है? **...वादी–2 से 5**

वादी संख्या 2 से 5 के नाम पर चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 17 में 0.791 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 33 में 1.328 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 60 में 0.885 हैक्टर कुल 3.004 हैक्टर के नाम पर दर्ज है जिसमें वादी द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 17 से 19 तथा किला नम्बर 14(0.126) हैक्टर कृषि भूमि में सक्षम अधिकारी की अनुमति से ईन्ट भट्टा स्थापित किया हुआ है. कन्तु वादी संख्या 1 द्वारा इन अभिवचनों के समर्थन में किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया. जिससे यह तथ्य कतई सिद्व नहीं होता है कि वादी द्वारा उल्लेखित कृषि भूमि पर स्थापित ईंट भट्टा हेतु कृषि भूमि संपरिवर्तित करवायी गयी हो. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 2 वादी संख्या 2 से 5 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादीगण चक 3 सी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये जा रहे अकृषि कार्य एवं अवैद्य निर्माण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं? **.....वादीगण**

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 की 20 मरला कृषि भूमि ग्राम पंचायत को पंजीबद्व उपहारपत्र द्वारा हस्तान्तरित की गयी है जिसकी बाबत वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि मुझे पता नहीं किला नम्बर 20 ग्राम पंचायत को दान दिया गया है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जिस कृषि भूमि को पंजीबद्व उपहारपत्र द्वारा अन्तरित ही किया जा चुका है, उस पर किसी भी प्रकार के कृषि अथवा अकृषि कार्यो हेतु निर्माण किये जाने का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं है. इस प्रकार चूकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 पर किसी भी प्रकार से गैर कृषि कार्यो हेतु निर्माण नहीं किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 –क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 के 20 मरले कृषि भूमि का कब्जा पंजीबद्व दानपत्र द्वारा ग्राम पंचायत, 4 सी बडी को सोंपा हुआ है?...**प्रतिवादी–1**

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 की 20 मरला कृषि भूमि ग्राम पंचायत को पंजीबद्व उपहारपत्र द्वारा हस्तान्तरित की गयी है, इस तथ्य के समर्थन में न तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है व न ही किसी भी प्रकार का मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है. ऐसी स्थिति में, विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 5 –क्या ग्राम पंचायत, 4 सी बड़ी को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण विचाराधीन वादपत्र पोषणीय है? **....प्रतिवादी–1**

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र में यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि उसके द्वारा चक 3 सी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/75 मुरब्बा नम्बर 60 किला नम्बर 20 की 20 मरला कृषि भूमि ग्राम पंचायत को पंजीबद्व उपहारपत्र द्वारा हस्तान्तरित की गयी है, इसके बावजूद भी वादी द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के केता को विचाराधीन प्रकरण में प्रतिपक्षकार बनाये जाने हेतु किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी. जबकि वादीगण द्वारा अपेक्षित अनुतोष प्रश्नगत कृषि भूमि के वर्तमान काबित व्यक्ति अर्थात केता के विरूद्व ही है. किन्तु वादीगण को यथोचित जानकारी प्राप्त हेाने के बाद भी उसके द्वारा ग्राम पंचायत को प्रतिपक्षकार नहीं बनाया गया है. ऐसी स्थिति में, आवश्यक पक्षकार के संयोजन नहीं करने के विचाराधीन वादपत्र पोषणीय नहीं है. अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादी सख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार आवश्यक पक्षकार के असंयोजन एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व किसी भी प्रकार के वादहेतुक की उत्पत्ति नहीं होने के कारण वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के परिणामतः वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 22 अक्तूबर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.